

न्यायालय:-सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :-श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 59/2019
प्रकरण दर्ज तिथि :- 20.06.2019
जीसीएमएस नम्बर :- 2019/00163
वादीगण-

1- रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवारी मेसिया

प्रतिवादीगण:-

बनाम

- 1- दिलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
- 2- निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह
- 3- उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपूत निवारीगण मेसिया तहसील रायपुर
- 4-तहसीलदार रायपुर
5. उपपंजीयन अधिकारी रायपुर
6. राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय पाली


दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 एवं धारा 53 ' राज. काश्त. अधिनियम
उपस्थित 1- श्री चन्द्र दीपसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2- श्री कल्याणसिंह,(प्रतिवादी संख्या 01 एवं 03) श्री जसवंत सिंह सांखला (प्रतिवादी संख्या 02) अधिवक्ता
प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक- 08.11.2023

वादी कि ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रदीपसिंह भाटी द्वारा दावा बाबत बन्टवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय मे पेश किया गया है। वाद पत्र के सक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा मेसिया पटवार हल्का बूटीवास भू अभि.नि. क्षेत्र गिरी में निम्न खसरा नम्बर की खातेदारी जमीन आई हुई हैं :-

क स	खाता संख्या नया/पुराना	खसरा नम्बर	रकबा बी-बि	किस्म
1	277/242	434	19-14	चाही प्रथम
2		435	03-00	चाही प्रथम
3		440	01-11	चाही प्रथम
4		441	00-09	चाही प्रथम
	कुल रकबा		24-14	
5	278/243	442	17-05	चाही प्रथम
6	279/244	24	01-16	बारानी दोयम
7		31	06-18	बारानी दोयम
8		32	04-02	बारानी दोयम
9		34	01-02	बारानी दोयम
10		36	04-03	बारानी दोयम
11		287	01-06	बारानी अब्ल
12		388	01-03	बारानी अब्ल
13		389	03-13	चाही प्रथम
14		390	01-12	चाही प्रथम
15		391	01-09	बारानी अब्ल
16		392	00-10	बारानी अब्ल
17		393	01-01	बारानी अब्ल
18		394	02-05	चाही प्रथम
19		395	00-17	चाही प्रथम
20	396	01-08	चाही प्रथम	
21	397	01-05	चाही प्रथम	
22	397/1	00-08	गै.मु.	


सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

23	फुल रकबा	398	02-13 37-11	चाही प्रथम
----	----------	-----	----------------	------------

उपरोक्त खातेदारी जमीन की जमाबंदी व ट्रेस नक्शा वाद के साथ पेश किया जा रहा है, जिस वाद का एक आवश्यक भाग रागडा जावे। उक्त खातेदारी में खाता संख्या 277/242 में वादी का 1/8 हिस्सा आता है, तथा खाता संख्या 279/243 में वादी का 1/8 हिस्सा आता है, इसी प्रकार 279/244 में 1/8 हिस्सा आता है। वादी रिकोर्डेड खातेदार काशतकार है। किन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण कि खातेदार की सयुक्त सामलाती भूमि दर्ज है जो कि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार वादी उपरोक्त आराजियात का रेकार्डेड खातेदार काशतकार चला आ रहा है। जिसे वाद पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। यह है कि वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान की सामलाति कब्जा काशत की है तथा मौके पर आपसी बंटवाडा हो रखा है जिसमें रागी काशतकार अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काशत आज दिन तक निरन्तर कर रहे है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण मौके अनुसार बंटवाडा करके मौके पर काबिज है तथा काशत गुतालिक कार्य करते है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहने पर भी बंटवाडा करवाने हेतु सहमत नहीं होने से श्रीमान् के रागडा उक्त वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी गण का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विवादित भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा करवाया जाकर सामलाती खाता अलग-अलग करने व नामान्तरण अलग-अलग भरा जाकर जमाबंदी अलग करने हेतु निवेदन किया है। साथ ही तहसीलदार रायपुर भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया है, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से वाद के पूर्व 80 (2) सीपीसी का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन वाद मात्र बंटवाडा है जिसमें तहसीलदार रायपुर से किसी आवश्यक अनुतोष की मांग नहीं की गई है। फिर भी न्यायालय श्रीमान से बिना 80(2) सीपीसी का नोटिस दिये वाद पेश करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय से अनुमति ली जा रही है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 03 की ओर से अधिवक्ता श्री कल्याण सिंह एवं प्रतिवादी संख्या 02 की तरफ से श्री जसवंत सिंह सांखला ने उपस्थित होकर दावा बाबत इकबालिया जबाव पेश कर निवेदन किया कि हम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3, आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प मेसिया में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा, यह कर लेते हैं कि उक्त भूमि का बंटवाडा किया जावे तथा बंटवाडा प्रस्ताव लेकर माफिक पक्षकारो के हक हिस्से अनुसार रास्ते हेतु प्रत्येक खातेदार की भूमि छोडकर किया जावे एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। वादी, वादी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02, प्रतिवादी संख्या 03, प्रतिवादी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03 के जरिये आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया जों वाद तस्दीक पत्रावली संलग्न किया गया। आपसी राजीनामा में विवादित भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवाडे किया जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। वकील वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की उक्त वाद पत्र पर बहस सुनी गई। उपस्थित वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड एवं मौका रिथति अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काशत अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करने की प्राथमिक डिक्री के आदेश दिये गये थे।

माफिक रेकर्ड एवं मौके एवं कब्जा काशत अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करने हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भूमि का अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2022/672 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जो निम्न हैं।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा वीघा / वस्वा	किस्म	लगान
1	निर्भयसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार रहन रा.म.ग्रा. बैक शाखा गिरी	434 / 1 435 / 1 442 / 1	1.4161 0.4613 0.4004	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	45.93 14.96 12.98
2	तुलछाईदेवी पत्नि चोलाराम जाति सीरवी सा देह खातेदार	442 / 2	0.1786	चाही प्रथम	5.79
3	रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 जाति	442 / 3 387	0.8782 0.2104	चाही प्रथम बारानी अव्वल	28.48 0.81

2022
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (द्वारा)

	राजपूत सा देह खातेदार	388 389 390 / 1 391 396 397 397 / 1	0.1862 0.3157 0.1295 0.2347 0.2266 0.2023 0.0647	बारानी अव्वल चाही प्रथम चाही प्रथम बारानी अव्वल चाही प्रथम चाही प्रथम गे मु	0.71 10.24 4.20 0.90 7.35 6.56 -
4	ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ इण्डियन शाखा रायपुर	389 390 392 393 394 395 398 / 1 434 440 441 442 / 5 442 / 4	0.2751 0.1295 0.0809 0.1700 0.3642 0.1376 0.4128 1.7728 0.2509 0.0728 0.4304 0.8077	चाही प्रथम चाही प्रथम बारानी अव्वल बारानी अव्वल चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	8.92 4.20 0.31 0.65 11.81 4.46 13.39 57.49 8.14 2.36 13.96 26.19
5	ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एस बी आई शाखा रायपुर दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/8 निर्भयसिंह पुत्र धुलसिंह हि 1/4 रहन आरएमजीबी गिरी रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/8 जाति राजपूत सा देह खातेदार	24 31 32 34 435 442 36	0.2914 1.1169 0.6637 0.1781 0.0243 0.0970 0.6718	बारानी दोयम बारानी दोयम बारानी दोयम बारानी दोयम चाही प्रथम चाही प्रथम बारानी दोयम	0.56 2.13 1.27 0.34 0.79 3.15 1.28
	योग	07	3.0432	-	9.52
6	ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एसबीआई शाखा रायपुर रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/4 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/4 जाति राजपूत सा देह खातेदार	398	0.0162	चाही प्रथम	0.52 मोर्के पर रास्ता

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। बहस द्वारा सुनी गई। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वकील वादी बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। अतः वकील वादी की सहमति के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा मौके पर कब्जा काशत अनुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश


अतः वादी का वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा मेसिया पटवार हल्का बूटीवास भू अभिलेख निरीक्षक गिरी के वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं, जो निम्न है :-

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा / बिस्वा	किस्म	लगान
1	निर्भयसिंह पुत्र धुलसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार रहन रा.म.ग्रा. बैंक शाखा गिरी	434 / 1 435 / 1 442 / 1	1.4161 0.4613 0.4004	चाही प्रथम चाही प्रथम चाही प्रथम	45.93 14.96 12.98
2	तुलछाईदेवी पत्नि चोलाराम जाति सीरवी सा देह खातेदार	442 / 2	0.1786	चाही प्रथम	5.79
3	रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2	442 / 3 387	0.8782 0.2104	चाही प्रथम बारानी अव्वल	28.48 0.81

महापंचक कालक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ध्यावर)


जाति राजपूत सा देह खातेदार	388	0.1862	बारानी अव्वल	0.71
	389	0.3157	चाही प्रथम	10.24
	390 / 1	0.1295	चाही प्रथम	4.20
	391	0.2347	बारानी अव्वल	0.90
	396	0.2266	चाही प्रथम	7.35
	397	0.2023	चाही प्रथम	6.56
	397 / 1	0.0647	गे मु	-
4 ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ इण्डियन शाखा रायपुर	389	0.2751	चाही प्रथम	8.92
	390	0.1295	चाही प्रथम	4.20
	392	0.0809	बारानी अव्वल	0.31
	393	0.1700	बारानी अव्वल	0.65
	394	0.3642	चाही प्रथम	11.81
	395	0.1376	चाही प्रथम	4.46
	398 / 1	0.4128	चाही प्रथम	13.39
	434	1.7728	चाही प्रथम	57.49
	440	0.2509	चाही प्रथम	8.14
	441	0.0728	चाही प्रथम	2.36
	442 / 5	0.4304	चाही प्रथम	13.96
	442 / 4	0.8077	चाही प्रथम	26.19
5 ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एस बी आई शाखा रायपुर दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/8 निर्भयसिंह पुत्र धुलसिंह हि 1/4 रहन आरएमजीबी गिरी रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/8 जाति राजपूत सा देह खातेदार	24	0.2914	बारानी दोयम	0.56
	31	1.1169	बारानी दोयम	2.13
	32	0.6637	बारानी दोयम	1.27
	34	0.1781	बारानी दोयम	0.34
	435	0.0243	चाही प्रथम	0.79
	442	0.0970	चाही प्रथम	3.15
	36	0.6718	बारानी दोयम	1.28
योग	07	3.0432	-	9.52
6 ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एसबीआई शाखा रायपुर रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/4 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/4 जाति राजपूत सा देह खातेदार	398	0.0162	चाही प्रथम	0.52

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभावन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावे। डिकी पर्चा एवं बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावे।


(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

अंतिम डिक्री व मुकदमें इन्वादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :- श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 59/2019

वादीगण-

1- रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी मेसिया

प्रतिवादीगण-

बनाम

1- दिलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह

2- निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह

3- उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मेसिया तहसील रायपुर

4-तहसीलदार रायपुर

5. उपपंजीयन अधिकारी रायपुर

6. राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय पाली

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री चन्द्रदीप सिंह भाटी वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री कल्याणसिंह एवं श्री भागीरथ तेली व श्री जसवंत सिंह सांखला मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि सरहद मौजा मेसिया पटवार हल्का बूटीवास भू अभिलेख निरीक्षक गिरी का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा/बिस्वा	किस्म	लगान
1	निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार रहन रा.म.ग्रा. बैंक शाखा गिरी	434/1	1.4161	चाही प्रथम	45.93
		435/1	0.4613	चाही प्रथम	14.96
		442/1	0.4004	चाही प्रथम	12.98
2	तुलछाईदेवी पत्नि चोलाराम जाति सीरवी सा देह खातेदार	442/2	0.1786	चाही प्रथम	5.79
3	रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 जाति राजपूत सा देह खातेदार	442/3	0.8782	चाही प्रथम	28.48
		387	0.2104	बारानी अव्वल	0.81
		388	0.1862	बारानी अव्वल	0.71
		389	0.3157	चाही प्रथम	10.24
		390/1	0.1295	चाही प्रथम	4.20
		391	0.2347	बारानी अव्वल	0.90
		396	0.2266	चाही प्रथम	7.35
		397	0.2023	चाही प्रथम	6.56
		397/1	0.0647	गे मु	-
		4	उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ इण्डियन शाखा रायपुर	389	0.2751
390	0.1295			चाही प्रथम	4.20
392	0.0809			बारानी अव्वल	0.31
393	0.1700			बारानी अव्वल	0.65
394	0.3642			चाही प्रथम	11.81
395	0.1376			चाही प्रथम	4.46
398/1	0.4128			चाही प्रथम	13.39
434	1.7728			चाही प्रथम	57.49
440	0.2509			चाही प्रथम	8.14
441	0.0728			चाही प्रथम	2.36
442/5	0.4304			चाही प्रथम	13.96
442/4	0.8077			चाही प्रथम	26.19
5	उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एस बी आई शाखा रायपुर दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/8 निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह हि 1/4 रहन आरएमजीबी गिरी रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि	24	0.2914	बारानी दोयम	0.56
		31	1.1169	बारानी दोयम	2.13
		32	0.6637	बारानी दोयम	1.27
		34	0.1781	बारानी दोयम	0.34
		435	0.0243	चाही प्रथम	0.79

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ट्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इन्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :- श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. टि.एक्ट
राजस्व वाद संख्या 59/2019

वादीगण-

1- रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी मेसिया


बनाम

प्रतिवादीगण:-

- 1- दिलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
- 2- निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह
- 3- उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण मेसिया तहसील रायपुर
- 4-तहसीलदार रायपुर
5. उपपंजीयन अधिकारी रायपुर
6. राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय पाली

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरु हमारे व हाजरी श्री चन्द्रदीप सिंह भाटी वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण श्री कल्याणसिंह एवं श्री भागीरथ तेली व श्री जसवंत सिंह सांखला मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि सरहद मौजा मेसिया पटवार हल्का बूटीवास भू अभिलेख निरीक्षक गिरी का विभाजन माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार रायपुर के निम्नानुसार करने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा बीघा/बिस्वा	किस्म	लगान
1	निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार रहन रा.म.ग्रा. बैंक शाखा गिरी	434/1	1.4161	चाही प्रथम	45.93
		435/1	0.4613	चाही प्रथम	14.96
		442/1	0.4004	चाही प्रथम	12.98
2	तुलछाईदेवी पत्नि चोलाराम जाति सीरवी सा देह खातेदार	442/2	0.1786	चाही प्रथम	5.79
3	रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/2 जाति राजपूत सा देह खातेदार	442/3	0.8782	चाही प्रथम	28.48
		387	0.2104	बारानी अव्वल	0.81
		388	0.1862	बारानी अव्वल	0.71
		389	0.3157	चाही प्रथम	10.24
		390/1	0.1295	चाही प्रथम	4.20
		391	0.2347	बारानी अव्वल	0.90
		396	0.2266	चाही प्रथम	7.35
		397	0.2023	चाही प्रथम	6.56
		397/1	0.0647	गे मु	-
4	उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत सा देह खातेदार स्टेट बैंक ऑफ इण्डियन शाखा रायपुर	389	0.2751	चाही प्रथम	8.92
		390	0.1295	चाही प्रथम	4.20
		392	0.0809	बारानी अव्वल	0.31
		393	0.1700	बारानी अव्वल	0.65
		394	0.3642	चाही प्रथम	11.81
		395	0.1376	चाही प्रथम	4.46
		398/1	0.4128	चाही प्रथम	13.39
		434	1.7728	चाही प्रथम	57.49
		440	0.2509	चाही प्रथम	8.14
		441	0.0728	चाही प्रथम	2.36
		442/5	0.4304	चाही प्रथम	13.96
442/4	0.8077	चाही प्रथम	26.19		
5	उंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एस बी आई शाखा रायपुर दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/8 निर्भयसिंह पुत्र धूलसिंह हि 1/4 रहन आरएमजीबी गिरी रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि	24	0.2914	बारानी दोयम	0.56
		31	1.1169	बारानी दोयम	2.13
		32	0.6637	बारानी दोयम	1.27
		34	0.1781	बारानी दोयम	0.34
		435	0.0243	चाही प्रथम	0.79



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (व्यावर)

	1/8 जाति राजपूत सा देह खातेदार	442	0.0970	चाही प्रथम बाराणी दायम	3.15 1.28
	योग	36	0.6718		9.52
6	ऊंकारसिंह पुत्र भंवरसिंह हि 1/2 रहन एसबीआई शाखा रायपुर रघुवीरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/4 दलीपसिंह पुत्र उम्मेदसिंह हि 1/4 जाति राजपूत सा देह खातेदार	07 398	3.0432 0.0162	- चाही प्रथम	0.52 मोके पर रास्ता

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज.....मुबलिक.....बाबत..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक.....को अदा करे।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.11.2023 को जारी किया गया।


(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर

मुद्दे	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	06	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प हाजरी		
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक	5	00	मीजान	04	00
मीजान	12	00			

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नहीं दर्ज किया जावे।